फर्द अहकाम

न्यायालय: सहायक कलेक्टर चौमूं

कन्हैया लाल बनाम प्रभुदयाल

मुकदमा संख्या / वर्ष: 01 / 2008

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	25/7/22	वा.प्रि. उप.। प्रा.पत्र बाबत भूमि बटवारा खाता सं. 131 पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में पूर्व में भी कुर्रेजात रिपोर्ट पेश हो चुकी थी। प्रार्थी श्याम सिंह के पिता बालुसिंह की उपस्थिती में ही कुर्रेजात रिपोर्ट आ चुकी थी। जिसका कोई एतराज पेश नहीं किया गया था। कुर्रेजात रिपोर्ट के काफी समय बीत जाने के बाद प्रतिवादी सं. 2 के वारिश द्वारा उक्त प्रा.पत्र प्रस्तुत किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रतित होता है कि उक्त प्रा. पत्र प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रा. पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तलबी दिनांक 01/8/22 को पेश हो। Sd/-	
	01/8/22	वा.प्रि. उप.। पत्रावली पूर्वादेशानुसार आगामी दिनांक 26/8/22 को पेश हो। Sd/-	
	26/8/22	वकीलों द्वारा आज कण्डोलैंस/कार्य स्थगित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 02/09/22 को पेश हो। Sd/-	U.T. for 2/9 ...
	2/9/22	वा.प्र.उप.। वकील ... सं. 2/1 के वकील ... हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रतिवादी सं. 2/2 की फ.ड्. की Sd/-	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Jakhar
Date: 2023.04.06 10:39:11 IST
Reason: SelfAttested

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		तलबी नहीं हुई। अतः अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। प्रतिवादी सं. 2/2 की तलबी हेतु सम्मन तलबाना पेश करें। पत्रावली बाद तलबी दिनांक 13/10/22 को पेश हो।
	13/10/22	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 21/10/22 को पेश हो।
	21/10/22	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 14/11/22 को पेश हो।
	14/11/22	वकीलों द्वारा आज कण्डोलैस/कार्य स्थगित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 16/11/22 को पेश हो।
	16/11/22	व० प्र० 590 का० मु० के वारिसान सं० 2/2 ता 2/4 की ओर से अधिवक्ता मुकेश चन्द माथुर ने पूर्व में U.T. की गयी थी। लेकिन आ.दिनांक तक वकालतनामा पेश नहीं किया गया। वकालतनामा पेश करने हेतु अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते पेश करने वकालतनामा दिनांक 23/11/22 को पेश हो।
	23/11/22	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 28/11/22 को पेश हो।
	28/11/22	व० प्र० 590 का० मु० के वारिसान सं० 2/2 ता 2/4 की ओर से अधिवक्ता मुकेश चन्द माथुर ने U.T. की गयी थी लेकिन पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद वकालतनामा पेश नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Jakhar
Date: 2023.04.06 10:39:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

पर है। अतः ...
दिनांक 25/7/22
को पेश हो।

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमूं जिला जयपुर

कन्हैयालाल बनाम प्रभुदयाल वगैरह

मुकदमा संख्या– 01/2008

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	किया। अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। पक्षकारान द्वारा वाद पत्र प्राथमिक डिक्री के अनुसार प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 13.10.2009 के अनुसार खातेदार बालू सिंह पुत्र धन सिंह व दौलतसिंह पुत्र धन सिंह के वारिसान को अभिलिखित करते हुए अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली, कुर्रेजात रिपोर्ट एवं उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट में खातेदार बालू सिंह पुत्र धन सिंह एवं दौलतसिंह पुत्र धन सिंह की दौराने दावा मृत्यु हो चुकी है। जिनके वारिसान पूर्व में ही पत्रावली के रिकॉर्ड पर मौजूद है तथा कुर्रेजात पर की गई आपत्ति पूर्व में ही खारिज की जा चुकी है। ऐसे में वाद पत्र को कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार मृतक खातेदार बालूसिंह पुत्र धन सिंह एवं दौलतसिंह पुत्र धन सिंह के वारिसान को सम्मिलित करते हुए अंतिम डिक्री की जाती है। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] नम्बर से कम हो [illegible] दफ्तर हो। सहायक कलक्टर चौमूँ (जयपुर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Jakhar
Date: 2023.04.06 10:39:11 IST
Reason: SelfAttested

मु0सं0–01/2008
उनवान–कन्हैयालाल बनाम प्रभुदयाल वगै0
निर्णय दिनांकः–28.11.2022

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टरचौमूँ, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :–श्री राजेश जाखड़(R.A.S.)

मुकदमा नं0:–01/2008

उनवान

कन्हैयालाल पुत्र श्री चौथमल, जाति कुमावत, निवासी रेलवे स्टेशन के पास ग्राम गोविन्दगढ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी–

बनाम

1. प्रभुदयाल पुत्र चौथमल जाति कुमावत निवासी गोविन्दगढ तहसील चौमू।
2. बालूसिंह पुत्र धनसिंह जाति राजपूत (मृतक दौराने दावा)

2/1 श्यामसिंह पुत्र स्व. बालूसिंह
2/2 धापू कंवर पुत्री स्व. बालूसिंह
2/3 समन्द कंवर पुत्री स्व. बालूसिंह
2/4 बीना कवर पुत्री स्व. बालूसिंह
समस्त जाति राजपूत निवासी गोविन्दगढ तहसील चौमू जिला जयपुर

3. दौलतसिंह पुत्र धनसिंह (मृतक दौराने दावा)

3/1 अजीत सिंह पुत्र स्व. दौलतसिंह
3/2 रणजीत सिंह पुत्र स्व. दौलतसिंह
3/3 दशरथ कंवर पुत्री स्व. दौलतसिंह
3/4 सूरज कंवर पुत्री स्व. दौलतसिंह
3/5 इन्द्र कंवर पुत्री स्व. दौलतसिंह
3/6 उच्छव कंवर उर्फ कोका पुत्री स्व. दौलतसिंह
समस्त जाति राजपूत निवासी गोविन्दगढ तहसील चौमू जिला जयपुर

4. तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
5. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयन कार्यालय चौमू, जिला जयपुर।
6. शाखा प्रबंधक महोदय, एसबीबीजे बैंक शाखा गोविन्दगढ जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नं0:–01/2008

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हा[illegible] वादी एवं प्रतिवादीमिनजामिन मुददई रूबरू श्री राजेश [illegible] पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

विवादित कृषि भूमि वाके ग्राम गोविन्दगढ, पटवार हल्का गो[illegible]गढ, भू0अ0क्षेत्र गोविन्दगढ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित खसरानम्बर 902 रकबा 0.02 है0, खसरानम्बर 903 रकबा 0.06 है0, खसरानम्बर 904 रकबा 2.63 है0, खसरानम्बर 905 रकबा 0.03 है0, खसरानम्बर 906 रकबा 1.10 है0, खसरानम्बर 913 रकबा 0.04 है0, खसरानम्बर 901 रकबा 2.92 है0,कुलकिता 7 का कुलरकबा 6.80 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा निम्नानुसार किया जाता है:–

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Jakhar
Date: 2023.04.06 10:39:11 IST
Reason: SelfAttested

मु0सं0–01/2008
उनवान–कन्हैयालाल बनाम प्रभुदयाल वगै0
निर्णय दिनांकः–28.11.2022

1. प्रभुदयाल पुत्र चौथमल जाति कुमावत सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 903 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 904/2 रकबा 1.02 है0, खसरा नम्बर 913 रकबा 0.04 है0 कुल किता 3 का कुल रकबा 1.12 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शायी गई है।
2. कन्हैलाल पुत्र चौथमल जाति कुमावत सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 904/3 रकबा 1.12 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 1.12 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शायी गई है।
3. प्रभुदयाल, कन्हैयालाल पिता चौथमल जाति कुमावत सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 902 रकबा 0.02 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.02 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शायी गई है।
4. श्यामसिंह, धापू कंवर, समन्द कंवर, बीना कंवर पि0 स्व. बालूसिंह जाति राजपूत सा0 देह खातेदार हिस्सा 1/2, अजीत सिंह, रणजीत सिंह, दशरथ कंवर, सूरज कंवर, इन्द्र कंवर, उच्छव कंवर उर्फ कोका पि0 दौलतसिंह सा0 देह हिस्सा 1/2 राहिन एसबीबीजे शाखा गोविन्दगढके हिस्से में खसरा नम्बर 901 रकबा 2.92 है0, खसरा नम्बर 904/1 रकबा 0.47 है0, खसरा नम्बर 904/4 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 905 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 906 रकबा 1.10 है0 कुल किता 5 का कुल रकबा 4.54 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में नारंगी रंग से दर्शायी गई है।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 28.11.2022को जारी किया गया।

मोहर

ओहदा..........

दस्तखत.........
सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	2 2	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	2
जोड़	4	जोड़	2

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Jakhar
Date: 2023.04.06 10:39:11 IST
Reason: SelfAttested

मु0सं0–01/2008
उनवान–कन्हैयालाल बनाम प्रभुदयाल वगै0
निर्णय दिनांकः–28.11.2022

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :–श्री राजेश जाखड़(R.A.S.)

मुकदमा नं0:–01/2008

उनवान

कन्हैयालाल पुत्र श्री चौथमल, जाति कुमावत, निवासी रेलवे स्टेशन के पास ग्राम गोविन्दगढ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी–

बनाम

1. प्रभुदयाल पुत्र चौथमल जाति कुमावत
2. बालूसिंह पुत्र धनसिंह जाति राजपूत (मृतक दौराने दावा)
   2/1 श्यामसिंह पुत्र स्व. बालूसिंह
   2/2 धापू कंवर पुत्री स्व. बालूसिंह
   2/3 समन्द कंवर पुत्री स्व. बालूसिंह
   2/4 बीना कंवर पुत्री स्व. बालूसिंह
   समस्त जाति राजपूत निवासी गोविन्दगढ तहसील चौमू जिला जयपुर
3. दौलतसिंह पुत्र धन सिंह (मृतक दौराने दावा)
   3/1 अजीत सिंह पुत्र स्व. दौलतसिंह
   3/2 रणजीत सिंह पुत्र स्व. दौलतसिंह
   3/3 दशरथ कंवर पुत्री स्व. दौलतसिंह
   3/4 सूरज कंवर पुत्री स्व. दौलतसिंह
   3/5 इन्द्र कंवर पुत्री स्व. दौलतसिंह
   3/6 उच्छव कंवर उर्फ कोका पुत्री स्व. दौलत सिंह
   समस्त जाति राजपूत निवासी गोविन्दगढ तहसील चौमू जिला जयपुर
4. तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
5. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयन कार्यालय चौमू, जिला जयपुर।
6. शाखा प्रबंधक महोदय, एसबीबीजे बैंक शाखा गोविन्दगढ जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Jakhar
Date: 2023.04.06 10:39:11 IST
Reason: SelfAttested

28.11.2022

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व प्रतिवादी उपस्थित। [illegible] प्रतिवादी संख्या 2/1 द्वारा विवादित आराजियात के संबंध में प्रस्तुत कुर्रेजात [illegible] दिनांक 13.10.2009 पर ऐतराज कुर्रेजात रिपोर्ट का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिसका लिखित जवाब दिये जाने पर दिनांक 25.07.2022 को ऐतराज कुर्रेजात प्रार्थना पत्र खारिज किया जा चुका है।

पक्षकारान द्वारा वाद पत्र प्राथमिक डिक्री के अनुसार आए कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांकित 13.10.2009 के अनुसार खातेदार बालूसिंह पुत्र धन सिंह एवं दौलतसिंह पुत्र धनसिंहके वारिसान को अधोलिखित करते हुए अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

मु0सं0–01/2008
उनवान–कन्हैयालाल बनाम प्रभुदयाल वगै0
निर्णय दिनांकः–28.11.2022

किया। बहस सुनी गई। पत्रावली, कुर्रेजात रिपोर्ट एवं उपलब्ध दस्तावेज साक्ष्य का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में आए कुर्रेजात रिपोर्ट में खातेदार बालूसिंह पुत्र धन सिंह एवं दौलतसिंह पुत्र धनसिंह की दौराने दावा मृत्यु हो चुकी है। जिनके वारिसान पूर्व से ही पत्रावली के रिकॉर्ड पर मौजूद हैं तथा कुर्रेजात पर भी प्रस्तुत की गई आपत्ति पूर्व में ही खारिज की जा चुकी है। ऐसे में वाद पत्र को कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार मृतक खातेदार बालूसिंह पुत्र धनसिंह एवं दौलतसिंह पुत्र धनसिंह के वारिसान को सम्मिलित करते हुए अंतिम डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 13.10.2009 के वाद को अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं विवादित कृषि भूमि वाके ग्राम गोविन्दगढ, पटवार हल्का गोविन्दगढ, भू0अ0क्षेत्र गोविन्दगढ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित खसरानम्बर 902 रकबा 0.02 है0, खसरानम्बर 903 रकबा 0.06 है0, खसरानम्बर 904 रकबा 2.63 है0, खसरानम्बर 905 रकबा 0.03 है0,खसरानम्बर 906 रकबा 1.10 है0, खसरानम्बर 913 रकबा 0.04 है0, खसरानम्बर 901 रकबा 2.92 है0,कुलकिता 7 का कुलरकबा 6.80 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा निम्नानुसार किया जाता हैः–

1. प्रभुदयाल पुत्र चौथमल जाति कुमावत सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 903 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 904/2 रकबा 1.02 है0, खसरा नम्बर 913 रकबा 0.04 है0 कुल किता 3 का कुल रकबा 1.12 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शायी गई है।
2. कन्हैलाल पुत्र चौथमल जाति कुमावत सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 904/3 रकबा 1.12 है0कुल किता 1 का कुल रकबा 1.12 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शायी गई है।
3. प्रभुदयाल, कन्हैयालाल पिता चौथमल जाति कुमावत सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 902 रकबा 0.02 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.02 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शायी गई है।
4. श्यामसिंह, धापू कंवर, समन्द कंवर, बीना कंवर पि0 स्व. बालूसिंहजाति राजपूत सा0 देह खातेदार हिस्सा 1/2, अजीत सिंह, रणजीत सिंह, दशरथ कंवर, सूरज कंवर, इन्द्र कंवर, उच्छव कंवर उर्फ कोका पि0 दौलतसिंह सा0 देह हिस्सा 1/2 राहिन एसबीबीजे शाखा गोविन्दगढके हिस्से में खसरा नम्बर 901 रकबा 2.92 है0, खसरा नम्बर 904/1 रकबा 0.47 है0, खसरा नम्बर 904/4 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 905 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 906 [illegible] कुल रकबा 4.54 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जो[illegible] में नारंगी रंग से दर्शायी गई है।

अंतिमडिक्री जारी हो। नजरी नक्शा डिक्री व निर्णय का जुज रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2022को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर [illegible]न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम तथा दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
चौमूँ

सहायक कलेक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Jakha
Date: 2023.04.06 10:39:11 IST
Reason: SelfAttested